

आ0स0-11/नि0स0-1-01/2012

पटना, दिनांक-


46

आदेश

मुख्य अभियंता, औरंगाबाद परियोजनाओं में नहर प्रणाली के पटना मुख्य नहर के कि०मी० 55.00 से कि०मी० 57.00 के बीच सेवापथ के पक्कीकरण कार्य का सिंचाई प्रमंडल, बाउदनगर में एकरारनामा संख्या- 18 एफ-2/2003-04 में मंसर्स चित्रगुप्ता कंस्ट्रक्शन प्रा० लि०, जहानाबाद द्वारा किया गया था। इस कार्य में स्टीन मेटल का उपयोग किया गया था, जिसके साक्ष्य के रूप में चालान समर्पित किये गये थे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन 2005-06 को कैंडिडा- 4.1.1(सिविल) में अंकेक्षण दल द्वारा जांच में स्टीन मेटल की आपूर्ति से संबंधित चालान फर्जी पाया गया। इस प्रकार फर्जी चालान संलग्न कर राश्ट्री मर में ₹० 300866/- की कटौती से बचने का प्रयास किया गया। इस फर्जीबादा के लिए श्री जय सिन्हा, डायरेक्टर, मंसर्स चित्रगुप्ता कंस्ट्रक्शन प्रा० लि० जहानाबाद से विभागीय पत्रांक- 373 दिनांक- 24.01.2013 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया।

संबंधक द्वारा आगे स्पष्टीकरण का जवाब में कहा गया है कि स्पष्टीकरण मांगा जाना न्यायोचित नहीं है, क्योंकि सटना के गलत आरोप के आधार पर करीब 9 वर्षों के बाद इस तरह की कार्रवाई को जा रहा है। बाध्य होकर उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी०डब्ल्यू०जे०सी०संख्या-...../2013, चित्रगुप्ता कंस्ट्रक्शन प्रा० लि० बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर उसकी पी० भी अपने पत्र के साथ दी गई। उनके द्वारा कहा गया कि याचिका के निपादन तक जवाब देना उचित नहीं है।

संबंधक से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई। समीक्षापरंत मंसर्स चित्रगुप्ता कंस्ट्रक्शन प्रा० लि० राकुरवाड़ी रोड, जहानाबाद के निवेदन संख्या- 369/2010(श्रेणी द्वितीय) को निबंधन निवमावली- 2007 की कैंडिडा- 11 के तहत चाली सूची में डाला जाता है।




(धीरेन्द्र कुमार)
अभियंता प्रमुख (मध्य)

ज्ञाप संख्या- 1327

पटना, दिनांक- 11.03.13

प्रतिनिधि श्री चित्रगुप्ता कंस्ट्रक्शन प्रा० लि०, निदेशक श्री जय सिन्हा राकुरवाड़ी रोड, जहानाबाद, पिन कोड- 804408 को सूचनार्थ प्रेषित।




(धीरेन्द्र कुमार)
अभियंता प्रमुख (मध्य)

ज्ञाप संख्या- 1327

पटना, दिनांक- 11.03.13

प्रतिनिधि प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभिवरण विभाग / सचिव, पब निर्माण विभाग/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/ सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना/ सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण, योजना एवं मो० पटना/ अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मो० अंचल- 2/3/4, पटना/ श्री भरत झा, जल सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना को उनके मो०स०प्र०स०- 955 दिनांक- 09.10.12 के प्रमंग में/ निदेशक, जय भंडार एवं सामग्री प्रबंधन/ प्रगल्हा पदाधिकारी, पराखा- 19, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(धीरेन्द्र कुमार)
अभियंता प्रमुख (मध्य)

11/3/13

निबंधित